न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रावणियाद

बनाम

अप्रार्थी :– श्री कुशालराम मेघवाल निवासी रावणियाद अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 52 / 2018

निर्णय

दिनांक

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रावणियाद ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद चौलिया के खसरा नम्बर 182 मैं किस्म बा.4 मे रकबा 0.0356 बीघा भूमि में मकान बाड़ा लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी कुशालराम से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री —— ने दिनाक —— को उपस्थित हाकर —— प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा चौलिया के खसरा नम्बर 182 किस्म गै. बा.4 में रकबा 0.0356 बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 3– रूपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0356 बीघा भूमि के 0.09 रूपये लगान का 50 गुणा 5/– अक्षरे पाँच रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनॉक 16.8.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा